कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून।
टेलीफोन– 0135–2713551, 2713552, 2713724
Email ID: election09@gmail.com & ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 1525 /XXV – 30 / 2025 देहरादून दिनांकः 09 अक्टूबर, 2025

–: निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिंग हेतु ई–निविदा :–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2025 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में **निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत** फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली, बीएलओ रजिस्टर (यदि आवश्यक हुआ), वर्णानुक्रम नामावली (Alphabetical Roll), मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) एवं आगामी संभावित गहन पुनरीक्षण हेतु गणना फार्म (Enumeration Form) (यदि आवश्यक हुआ) आदि की **लेजर प्रिंटिंग** हेतु जैम के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

1:–कार्य का नाम :– उत्तराखण्ड राज्य की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली, बीएलओ रजिस्टर, वर्णानुक्रम नामावली (Alphabetical Roll), मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) एवं आगामी संभावित गहन पुनरीक्षण हेतु गणना फार्म (Enumeration Form) आदि **लेजर प्रिंटिंग** एवं आपूर्ति का कार्य।

2:–कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण (Scope of Work) :-

(खण्ड–क, पुनरीक्षण हेतु)

जनपद का नाम	01.07.2025 की स्थिति के अनुसार		(A4 Size Sheet) (कुल मतदाता / 30+3 पेज प्रति मतदेय स्थल)	प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के दौरान की जाने वाली लेजर प्रिन्टिंग के सेटों एवं पेजों की अनुमानित संख्या			वर्ष–2025 में संभावित गहन पुनरीक्षण हेतु गणना फार्मों (Enumeration Form A4 size sheet @ 2per Electors) के पेजों की अनुमानित संख्या	वर्ष 2025 में गहन पुनरीक्षण, ड्राफ्ट पब्लिकेशन, अंतिम प्रकाशन आदि के लिए कुल अनुमानित पेजों की संख्या (5+6+7+8)
	कुल मतदेय स्थल	मतदाता		ड्राफ्ट पब्लिकेशन के लिए 10 सेट हेतु अनुमानित कुल पेज (A4 Size Sheet)	फाईनल पब्लिकेशन के लिए 10 सेट अनुमानित कुल पेज (A4 Size Sheet)	बीएलओ रजिस्टर आलेख्य प्रकाशन से पूर्व (यदि आवश्यक होगा एक सेट)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.उत्तरकाशी	544	248539	9917	99166	99166	51340	497078	**746750**
2.चमोली	592	304988	11942	119423	119423	62774	609976	**911595**
3.रूद्रप्रयाग	362	196568	7638	76383	76383	40400	393136	**586301**
4.टिहरी गढ़वाल	963	522112	20293	202927	202927	107311	1044224	**1557390**
5.देहरादून	1882	1596768	58872	588716	588716	325000	3193536	**4695968**
6.हरिद्वार	1715	1499997	55145	551449	551449	305144	2999994	**4408036**
7.पौड़ी गढ़वाल	945	573592	21955	219547	219547	117553	1147184	**1703832**

8.पिथौरागढ़	611	381683	14556	145558	145558	78170	763366	**1132651**
9.बागेश्वर	381	221296	8520	85195	85195	45402	442592	**658385**
10.अल्मोड़ा	920	544540	20911	209113	209113	111668	1089080	**1618975**
11.चम्पावत	344	209318	8009	80093	80093	42896	418636	**621717**
12.नैनीताल	1010	824090	30500	304997	304997	167848	1648180	**2426021**
13.ऊधमसिंहनगर	1464	1386567	50611	506109	506109	281705	2773134	**4067057**
Grand Total-	**11733**	**8510058**	**318868**	**3188676**	**3188676**	**1737211**	**17020116**	**25134679**

(खण्ड–ख, किसी वर्ष में सामान्य निर्वाचन की स्थिति में, जैसे वर्ष–2027 में विधान सभा का आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु)

जनपद का नाम	अनुमानित कुल मूल पेज (A4 Size Sheet)	निर्वाचन के लिए की जाने वाली लेजर प्रिन्टिंग के सेटों एवं पेजों की अनुमानित संख्या			निर्वाचन के लिए अनुमानित कुल पेजों की संख्या
		निर्वाचन हेतु अनुमानित 27, सेट अनुमानित कुल पेज (A4 Size Sheet)	मतदाता सूचना पर्ची 1 सेट, अनुमानित कुल पेज (A4 Size Sheet)	वर्णानुक्रम नामावली फोटो रहित (Alphabetical Roll), 1सेट, अनुमानित कुल पेज (A4 Size Sheet)	
1	2	3	4	5	6
1.उत्तरकाशी	9917	267749	124270	5355	**397374**
2.चमोली	11942	322441	152494	6449	**481384**
3.रूद्रप्रयाग	7638	206233	98284	4125	**308642**
4.टिहरी गढ़वाल	20293	547904	261056	10958	**819918**
5.देहरादून	58872	1589533	798384	31791	**2419708**
6.हरिद्वार	55145	1488912	749999	29778	**2268689**
7.पौड़ी गढ़वाल	21955	592778	286796	11856	**891429**
8.पिथौरागढ़	14556	393006	190842	7860	**591707**
9.बागेश्वर	8520	230027	110648	4601	**345276**
10.अल्मोड़ा	20911	564606	272270	11292	**848168**
11.चम्पावत	8009	216250	104659	4325	**325234**
12.नैनीताल	30500	823491	412045	16470	**1252006**
13.ऊधमसिंहनगर	50611	1366494	693284	27330	**2087108**
Grand Total-	**318868**	**8609425**	**4255029**	**172189**	**13036643**

3.1– उपरोक्त **खण्ड–क एवं खण्ड–ख** में अंकित तालिका में निर्वाचक नामावली के सेटों / पेजों की संख्या पूर्णतः अनुमानित है जो वास्तविक रूप से घट अथवा बढ सकती है।

खण्ड–क की तालिका के **कॉलम–7** में अंकित बीएलओ रजिस्टर, आयोग के निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर ही लेजर प्रिन्ट किया जाएगा, अन्यथा बीएलओ रजिस्टर का कार्य ऑनलाईन भी सम्पादित हो सकता है। इसी प्रकार **कॉलम–8** में अंकित गणना फार्म (Enumeration Form) भी आयोग से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही आवश्यकता पड़ने पर ही

लेजर प्रिन्टिंग किए जाने पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचक के लिए एक गणना फार्म हो सकता है जिस पर निर्वाचक की फोटो भी प्रिन्ट हो सकती है। गणना फार्म यदि आवश्यक होगा तो केवल वर्ष–2025 के लिए ही एक बार लेजर प्रिन्ट हो सकता है, इसलिए अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए इसका आंकलन नहीं होगा।

4:– <u>पात्रता हेतु मानदण्ड **(Eligibility Criteria)**</u>:-

4.1– निविदा दाता एक ऐसी प्रतिष्ठित फर्म होनी चाहिए जिसे विगत पांच वर्षों (2020–21 से 2024–25) में से कम से कम किन्हीं भी तीन वर्षों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप/मतदाता सूचना पर्ची की लेजर प्रिन्टिग, अथवा केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिंग से संबंधित समान प्रकृति के कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

4.2– निविदा दाता फर्म को केन्द्र/किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए ।

4.3– निविदा दाता फर्म का **GST रजिस्ट्रेशन तथा** पैन कार्ड होना अनिवार्य होगा।

4.4– निविदा दाता फर्म का विधान सभा निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप/मतदाता सूचना पर्ची की लेजर प्रिन्टिग अथवा केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पीएसयू के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिंग से संबंधित समान प्रकृति के विभिन्न कार्यों सहित विगत पांच वर्षों यथा **वित्तीय वर्ष–2020–21 से 2024–25 में से किन्ही तीन** वित्तीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम **₹ 75.00 लाख (पिच्चहत्तर लाख)** का **टर्नओवर होना चाहिए।**

4.5– निविदा दाता फर्म के सभी अभिलेख नियमानुसार उसी नाम से होने चाहिए जिस नाम से संबंधित निविदा–दाता द्वारा अपनी ई–निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

4.6– निविदा–दाता को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार/पी.एस.यू. से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

4.7– निविदा–दाता का विगत पांच वर्षों (2020–21 से 2024–25) में से **किसी भी एक वित्तीय वर्ष में** फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप की लेजर प्रिन्टिग, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिग से संबंधित समान प्रकृति के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति अथवा अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण–पत्र होना चाहिए:–

क–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 7.00–7.00 लाख (**सात–सात लाख**) **के तीन अलग–अलग आदेश, या**

ख–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 10.00–10.00 लाख (**दस–दस लाख**) **के दो अलग–अलग आदेश, या**

ग–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 20.00 लाख (**बीस लाख**) **का एक सिंगल आदेश।**

4.8– निविदा–दाता को आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष–2024–25 तक का आयकर रिटर्न जमा होना चाहिए।

4.9– निविदा–दाता फर्म के पास वर्तमान में **प्रत्येक दिन (एक दिन में आठ घण्टे) कम से कम 7.00 लाख पेज लेजर प्रिन्ट करने** की क्षमता रखने वाले **1200DPI** की उच्च गुणवत्ता के लेजर प्रिन्टर होने चाहिए। उक्त नियत **DPI** से कम के लेजर प्रिन्टर/प्रिन्टिंग स्वीकार नहीं होगी।

4.10— निविदा में प्रतिभाग करने के लिए MSME के अन्तर्गत पंजीकरण की कोई बाध्यता नहीं है, यदि अन्यथा अनर्ह न हो तो कोई भी इच्छुक निविदा—दाता नियमानुसार अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकता है। MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग—2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकृत फर्म को ''प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प एवं स्टार्टप्स सहित) के लिए क्रय वरीयता नीति—2019'' (समय—समय पर संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निविदा प्रपत्र के शुल्क और EMD आदि में नियमानुसार उस सीमा तक छूट का प्राविधान होगा। अर्थात केवल उत्तराखण्ड राज्य में निविदा में उल्लिखित कार्यो हेतु नियमानुसार MSME में पंजीकृत फर्मो आदि को ही निविदा के शुल्क और EMD आदि में छूट देय होगी। अधिप्राप्ति नियमावली 2025 (समय—समय पर संशोधित) के साथ ही MSME के लाभ देय होगें। MSME पंजीकरण में लेजर प्रिन्टिंग मशीनों/लेजर प्रिन्टिंग कार्य का उल्लेख होना अनिवार्य होगा।

4.11— अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त निविदा—दाताओं की वित्तीय निविदा नियमानुसार खोली जाएगी, तत्पश्चात निविदा समिति की संस्तुति के अनुसार न्यूनत्तम दर वाली सफल निविदा—दाता फर्म को अनुबंध निष्पादित करने से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करना होगा तथा निर्धारित क्षमता हेतु कार्यशाला स्थापित करेगा या *तदनुरूप अनुबंध कर व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।*

5:— **अभिलेख जिन्हें तकनीकी निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफे में मूल में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे (चैकलिस्ट ANNEXURE-A के साथ) :—**

5.1— निविदा प्रपत्र का मूल्य **₹ 1000.00** (₹ एक हजार) की धनराशि, किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, (मूल में) जिसे **मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार किया गया हो ।

5.2— निविदा हेतु निर्धारित **EMD ₹5.50लाख** (₹ पाँच लाख पच्चास हजार) की धनराशि किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार सावधि जमा रसीद, या बैंक गारण्टी, या राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल में) जिसे मुख्य **निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार किया गया हो और उसकी वैधता कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए।

5.3— निविदा—दाता को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार/पी.एस.यू. से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए इसके संबंध में निविदा—दाता को **₹100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित निम्न तीन बिन्दुओं पर निर्धारित शपथ—पत्र मूल रूप में ***तकनीकी निविदा के साथ*** प्रस्तुत करना होगा कि:—

1— फर्म आदि किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।

2— किसी भी सरकारी विभाग/पी.एस.यू. में किसी भी प्रकार का विधिक विवाद भी नहीं है।

3— तकनीकी ई—निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था छिपाई नहीं गई है।

5.4– निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्ट का सैम्पल (कम से कम 75 GSM के कागज पर) (इस निविदा आलेख के साथ **संलग्न सैम्पल PDF ANNEXURE-8** पर लेजर प्रिन्ट करें)

5.5– बीएलओ रजिस्टर की लेजर प्रिन्ट का सैम्पल (कम से कम 75 GSM के कागज पर) (इस निविदा आलेख के साथ **संलग्न सैम्पल PDF ANNEXURE-9** पर लेजर प्रिन्ट करें)

5.6– मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip VIS) की लेजर प्रिन्ट का सैम्पल (कम से कम 75 GSM के कागज पर) (इस निविदा आलेख के साथ **संलग्न सैम्पल PDF ANNEXURE-10** पर लेजर प्रिन्ट करें)

5.7– वर्णानुक्रम नामावली फोटो रहित (Alphabetical Roll with out Immage), की लेजर प्रिन्ट का सैम्पल (कम से कम 75 GSM के कागज पर) (इस नविदा आलेख के साथ **संलग्न सैम्पल PDF ANNEXURE-11** पर लेजर प्रिन्ट करें)

5.8– ***MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि कोई हो)।***

5.9– उक्त **क्रमांक 6.3 से 6.8 पर** अंकित अभिलेखों पर निविदा–दाता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं फर्म आदि की मुहर लगी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में स्केन कर चस्पा किए गए हस्ताक्षर एवं मुहर स्वीकार्य नहीं होंगे।

6:– <u>अभिलेख जिन्हें तकनीकी निविदा के रूप में ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा (चैकलिस्ट **ANNEXURE-B** के साथ) :–</u>

6.1– निविदा–दाता फर्म का GST रजिस्ट्रेशन संबंधी अभिलेख।

6.2– निविदा–दाता फर्म के पैन कार्ड की प्रति।

6.3– MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र की प्रति, यदि कोई हो।

6.4 विगत पांच वर्षों (2020–21 से 2024–25) में से कम से कम किन्हीं भी तीन वर्षों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप/मतदाता सूचना पर्ची की लेजर प्रिन्टिग, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिग से संबंधित समान प्रकृति के कार्य हेतु विभाग/कार्यालय/पी.एस.यू. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ANNEXURE-6 पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, या उसके सादृश्य अन्य सुसंगत अभिलेख जिसमें उक्तानुसार किन्हीं तीन वर्षो में संबंधित कार्य करने का अनुभव सुस्पष्ट परिलक्षित होता हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ANNEXURE-6 से भिन्न प्रमाण–पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने पर ANNEXURE-6 में वांछित विषय वस्तु यथा निविदा–दाता फर्म का पूरा नाम और पता, अनुभव से संबंधित वर्षो का विवरण एवं कार्य का विवरण ऐसे अभिलेख में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। प्रस्तुत किए गऐ अभिलेख में किसी प्रकार की कमी अथवा अपूर्णता और अस्पष्टता के लिए निविदा–दाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

6.5– विगत पॉच वित्तीय वर्षों यथा *वित्तीय वर्ष–2021–21 से 2024–25 तक, में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्ष* के टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट का **सार** ANNEXURE-4 CA के Letterhead पर संबंधित सी.ए. के UDIN सहित।

6.6– विगत पांच वर्षों (2020–21 से 2024–25) में से **किसी भी एक वित्तीय वर्ष में** फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप की लेजर प्रिन्टिग, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिग से संबंधित समान प्रकृति के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण–पत्र अपलोड करना चाहिए:–

क–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 7.00–7.00 लाख (सात–सात लाख) के तीन अलग–अलग आदेश, या

ख–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 10.00–10.00 लाख (दस–दस लाख) के दो अलग–अलग आदेश, या

ग–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 20.00 लाख (बीस लाख) का एक सिंगल आदेश।

6.7– कार्यादेश के सापेक्ष सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान के स्पष्ट प्रमाण–पत्र की प्रति ANNEXURE-5 पर। ANNEXURE-5 से भिन्न प्रमाण–पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने पर ANNEXURE-5 में समाविष्ट विषय वस्तु यथा निविदा–दाता फर्म का पूरा नाम और कार्यादेश का स्पष्ट विवरण, बिल संख्या एवं दिनांक, बिल की धनराशि तथा भुगतान का दिनांक आदि विवरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। वांछित सूचना में किसी प्रकार की कमी अथवा अपूर्णता और अस्पष्टता के लिए निविदा–दाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

6.8– वित्तीय वर्ष–2024–25 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित अभिलेख।

6.9– निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख (Corrigendum सहित यदि कोई हो) की प्रति।

6.10– निविदा–दाता फर्म के पास वर्तमान में उपलब्ध 1200DPI के लेजर प्रिन्टरों, कम्प्यूटर आदि का विवरण ANNEXURE-2 पर पूर्ण विवरण सहित।

6.11– ANNEXURE-1 निविदा–दाता फर्म की घोषणा सहित पूर्ण विवरण।

6.12– निविदा–दाता को **₹100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित ब्लेक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित तीन बिन्दुओं पर शपथ–पत्र की प्रति।

6.13– अन्य अभिलेख यदि कोई हों (अधिकत्तम 4 पेज में)।

6.14– उक्त बिन्दु संख्या–**7.1 से 7.13** पर अंकित समस्त अभिलेखों पर निविदा–दाता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं फर्म की मुहर लगी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में स्केन कर चस्पा किए गए हस्ताक्षर एवं मुहर स्वीकार्य नहीं होंगे। वांछित अभिलेखों के प्रत्येक पेज पर नियमानुसार Digital Signature भी स्वीकार होंगे।

7 :– <u>वित्तीय निविदा</u> :–

7.1– **वित्तीय निविदा** ANNEXURE-3 में नियत BOQ के प्रारूप में ही नियमानुसार केवल ऑन लाईन GeM Portal प्रस्तुत की जायगी। BOQ में प्रस्तुत दरों में GST एवं अन्य कोई भी कर (Tax) सम्मिलित नहीं होगा। अर्थात ऑन लाईन BOQ में दरें **Excluding all taxes** ही प्रस्तुत की जायेंगी।

7.2– **वित्तीय निविदा** के प्रारूप BOQ में दरें दो प्रकार की प्रस्तुत की जायेंगी जिसमें :–

1– प्रति पेज लेजर प्रिन्टिंग की दर (एक कागज पर केवल एक तरफ) (One A4 Size Sheet single side)

2– प्रति पेज लेजर प्रिन्टिंग की दर (एक कागज पर दोनों तरफ) (One A4 Size Sheet both side)

<u>8:–बिल प्रस्तुत करना एवं उनका भुगतान</u>:–

8.1– सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के पश्चात प्रस्तुत बिलों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित GST (As per applicable) आदि कर देय होगा।

8.2– सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के फलस्वरूप तद्संबंधी बिल निहित प्राविधानों के साथ निर्धारित शपथ–पत्र एवं मूल PDF DVD/Pen Drive or External Disk के साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में ही भुगतान हेतु नियमानुसार प्रस्तुत किए जायेंगें।

8.3– अंतिम रूप से सफल निविदा–दाता को मतदेय स्थलवार, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का PDF डाटा कार्यादेश के साथ यथा संभव एक साथ उपलब्ध कराया जायेगा और तदनुसार कार्यादेश एवं PDF डाटा की प्राप्ति के फलस्वरूप अधिकतम 5 दिन के अन्तर्गत राज्य के सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों में निविदा में निहित नियम एवं शर्तो के अनुसार निर्वाचक नामावली के लेजर प्रिन्टिंग के सेटों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

8.4– निर्वाचक नामावली के लेजर प्रिन्टिग के सेटों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इनकी जाँचोपरान्त पुष्टि के फलस्वरूप विलम्बतम 90 दिन के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित देयकों का भुगतान किया जायेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में बजट की अपरिहार्य अनुपलब्धता अथवा अपर्याप्तता के कारण भुगतान में विलम्ब हो सकता है। भुगतान की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार TDS की कटौती भी की जायेगी।

8.5– जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कि, सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्य सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण कर लिया गया है एवं किसी प्रकार की अर्थदण्ड (Penalty) एवं Liquidated Damage की कटौती देय नहीं है तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा पी.डी.एफ. डाटा निर्धारित शपथ–पत्र सहित कार्यालय में जमा कर दिया गया है के पश्चात ही कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मुक्त की जायेगी,

9– <u>अप्रत्याशित घटना (FORCE MAJEURE)</u> :–

9.1– निविदा–दाता फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति को जब्त करने/Liquidated Damages का दावा करने या अनुबंध की वैधता को समाप्त करने का आधार नहीं होगा,

यदि अनुबंध के तहत दायित्वों का निर्वहन करने में कोई विलम्ब या अन्य विफलता किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परिलक्षित होती हो।

9.2– अप्रत्याशित घटना का आशय अनुबंधित फर्म के नियंत्रण से इतर ऐसी कोई घटना है जिसमें अनुबंधित फर्म की कोई गलती या लापरवाही परिलक्षित नहीं होती है और जिसका कोई पूर्वानुमान भी नहीं है जैसे, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ, महामारी, क्वारंटीन प्रतिबंध, माल ढुलाई प्रतिबंध या कोई दैवीय आपदा सम्मिलित हो सकती है।

9.3– यदि किसी समय इस प्रकार कोई अप्रत्याशित घटना उत्पन्न होती है तो, अनुबंधित फर्म को ऐसी स्थिति और उसके कारण के बारे में तत्काल उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को लिखित रूप में सूचित करना होगा। कार्य की महत्ता और समयबद्धत्ता को ध्यान में रखते हुए अनुबंधित फर्म को अप्रत्याशित घटना से बाधित होने वाले प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की पहचान/तलाश भी सुनिश्चित करनी होगी।

10–अनुबंध का निलंबन और समाप्ति :–

10.1– अनुबंध के तहत उल्लिखित प्राविधानों के अधीन अनुबंध अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा।

10.2– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि, अनुबंधित फर्म अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करती है और उल्लघंन की सूचना मिलने के पाँच दिन के अन्दर इसे सुधारने में विफल रहती है।

10.3– यदि अनुबंधित फर्म दिवालिया हो जाती है/या हो जाता है, तो अनुबंधित फर्म को 10 दिन का लिखित नोटिस देकर बिना किसी मुआवजे के किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार से अनुबंध समाप्ति से अनुबंधित कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या कार्यवाही अथवा किसी उपचार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जो उसके बाद अर्जित हुई या अर्जित होगी।

10.4– मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अनुबंध अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/पीएसयू के किसी विभाग/कार्यालय द्वारा अनंबंधित फर्म के ब्लेक लिस्ट में डाले जाने या ब्लेक लिस्टेड होने की जानकारी अथवा अनुबंधित फर्म को कानूनी/कर चोरी के मामले में दोषी पाए जाने/ठहराए जाने की किसी सूचना पर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

10.5– दोषपूर्ण/घटिया सेवा प्रदान करने या अनुबंध के अनुसार नियत अवधि के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त सेवा प्रदान न करने पर शासकीय कार्यहित में तत्काल अनुबंधित फर्म को निलंबित कर लिया जाएगा। यद्यपि प्रकरण पर अंतिम निर्णय से पूर्व सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

11–मध्यस्थता :–

11.1– अनुबंध के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद को विभाग और अनुबंधित फर्म द्वारा सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

11.2– यदि ऐसी अनौपचरिक बात प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत विभाग और अनुबंधित फर्म विवाद को सौहार्दपूण ढंग से हल करने में विफल रहती हैं तो,

किसी भी पक्ष को आवश्यकता हो सकती है कि विवाद को औपचारिक रूप से समाधान के लिए तीसरे पक्ष को मध्यस्तता हेतु भेजा जाय।

11.3– इस प्रकार के विवाद को समाधान के लिए तीसरे पक्ष के रूप में सचिव, निर्वाचन उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

11.4– मध्यस्तता का कार्य क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा तथा मध्यस्ता की कार्यवाही हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।

12:–निविदा के संबंध में अन्य नियम एवं शर्तें:–

12.1– निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास DSC (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य है।

12.2– निविदा–दाता द्वारा तकनीकी बिड का विवरण ANNEXURE-1 में, एवं वित्तीय बिड केवल निर्धारित BOQ में ही ऑनलाईन (GeM Portal) प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ विभागीय निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

12.3– उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त GeM Portal पर प्राप्त **निविदाओं** की तकनीकी निविदाओं को, इच्छुक/उपस्थित निविदा–दाताओं के समक्ष निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा खोला जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी निविदाओं का निविदा समिति द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा। कदाचित यदि उस समय कोई निविदा–दाता/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी नियत समय पर तकनीकी निविदा को नियमानुसार खोला जायेगा। जिस निविदा–दाता द्वारा नियमानुसार ऑन–लाईन निविदा प्रस्तुत की गयी होगी तकनीकी निविदा से संबंधित लिफाफा भी उसी निविदा–दाता का खोला जाएगा।

12.4–निर्धारित तिथि, समय पर निविदा समिति के अधिकृत अधिकारियों के द्वारा तकनीकी निवादाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त निविदा–दाताओं की मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी। अन्य अनर्ह पाए गए निविदा–दाताओं की वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेंगी।

12.5– नियमानुसार अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त सफल निविदा–दाता जिसे न्यूनत्तम दर के आधार पर नियमानुसार L1 घोषित कर दिया गया हो, ऐसे सफल निविदा–दाता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व एक सप्ताह अन्दर निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार कार्यपूर्ति की धनराशि प्रस्तुत करनी होगी।

12.6–BOQ में यदि अलग–अलग घटक (Component) यथा:–

1– प्रति पेज लेजर प्रिन्टिंग की दर (एक कागज पर केवल एक तरफ)
(One A4 Size Sheet single side)

2– प्रति पेज लेजर प्रिन्टिंग की दर (एक कागज पर दोनों तरफ)
(One A4 Size Sheet both side)

के लिए अलग–अलग निविदा–दाताओं की दरें अलग–अलग प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति जिस निविदा–दाता का अनुमानित कार्य के सापेक्ष संविदा का मूल्य न्यूनत्तम होगा उसे L1 घोषित किए जाने पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में

यह भी सर्वाधिकार सुरक्षित होगा कि परिस्थिति अनुरूप एवं शासकीय हित में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा Negotiation कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

12.7– निविदा–दाता फर्म के पास वर्तमान में **प्रत्येक दिन कम से कम 7.00 लाख पेज लेजर प्रिन्ट करने** की क्षमता रखने वाले **1200DPI** की उच्च गुणवत्ता के लेजर प्रिन्टर होने चाहिए। इस प्रकार लेजर प्रिन्टरों की कुल संख्या तथा अन्य अपेक्षित विवरण ANNEXURE-2 पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12.8–इच्छुक निविदा–दाता का फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, फोटो वोटर स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची की लेजर प्रिन्टिंग, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिंग से संबंधित समान प्रकृति के कार्यों सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कुल ₹75.00 लाख (पिच्चहत्तर लाख) का टर्नओवर होना चाहिए।

12.9–इच्छुक निविदा–दाता द्वारा तकनीकी ई–निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफा जिसके शीर्ष पर ***"विधान सभा निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिंग हेतु तकनीकी निविदा"*** लिखा हो और फर्म का पूरा नाम और पता भी स्पष्ट अंकित किया गया हो, को **निर्धारित तिथि एवं समय तक** मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून में व्यक्तिगत रूप से/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक अथवा कोरियर द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि और समय के पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

12.10–लेजर प्रिन्टिग पर उच्च गुणवत्तायुक्त कम से कम 75 GSM का पेपर ही प्रयोग में लाया जायेगा इससे न्यून गुणवत्ता का कागज निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग में स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी स्थिति में फोटो स्टेट या अन्य प्रकार की कोई भी प्रिन्टिग स्वीकार्य नहीं होगी।

12.11–लेजर प्रिन्टिग के पश्चात प्रत्येक मतदेय स्थल की निर्वाचक नामावली को क्रमबद्ध ढ़ंग से (पृष्ठवार) Staple करने एवं Staple किया जाएगा। तद्पश्चात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सेट तैयार करने होंगें, अर्थात यदि एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 001 से 142 तक मतदेय स्थल हैं तो मतदेय स्थल संख्या–001 से 142 तक की निर्वाचक नामावली को क्रमबद्ध लगाकर सेट बनाना। प्रत्येक सेट के नीचे और ऊपर Support के लिए मजबूत मोटा गत्ता A4 साइज रखकर सेट को चारों ओर से मजबूत रस्सी से बांधना होगा।

12.12–निर्धारित गुणवत्तायुक्त कागज पर नियत गुणवत्ता के साथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग करने के साथ–साथ इनकी मतदेय स्थलवार Stapler करने, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार सुरक्षित ढंग से सेट तैयार कर कार्यादेश में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों के भण्डार कक्ष तक पहुँचाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का ही होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार तक उक्तानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के सेट पहुँचाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी किराया–भाड़ा और लोडिंग/अनलोडिंग तथा मजदूरी चार्ज आदि देय नहीं होगा।

12.13–निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिंग का कार्य, कार्यादेश जारी होने के **5 दिन (पाँच दिन) के** अन्दर पूर्ण करते हुए इनकी अपेक्षित संख्या में मतदेय स्थलवार सेट Stapler करने, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थल संख्या–01 से

अंत तक के सुरक्षित ढंग से अपेक्षित सेट बनाकर संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय तक पहुँचाना अनिवार्य होगा।

12.14–भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि आवश्यक होगा तो वर्तमान मतदाताओं के सापेक्ष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार/मतदातावार गणना फार्म (Enumeration Form) की भी लेजर प्रिन्टिग की जा सकती है। गणना फार्म में एक पेज पर एक मतदाता की फोटो एवं अन्य विवरण आदि, जैसा भी आयोग द्वारा नियत कर निर्देशित किया जाएगा, लेजर प्रिन्टिग की जा सकती है।

12.14–आयोग के निर्देशानुसार आगामी संभावित गहन पुनरीक्षण के दृष्टिगत, कार्य की महत्ता, सयमबद्धता एवं तात्कालिता को ध्यान में रखते हुए केवल गणना फार्म की लेजर प्रिन्टिग का कार्य, शासकीय कार्यहित में इस निविदा के आलोक में अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त सफल निविदा–दाताओं, जिनकी वित्तीय निविदा खोली गयी है के मध्य जनपदवार अलग–अलग आवंटित किए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

12.15–केवल गणना फार्म की लेजर प्रिन्टिग (यदि कोई हो) के जनपदवार कार्य का आवंटन इस निविदा के आलोक में नियमानुसार एल–1 में वर्गीकृत सफल निविदाता की न्यूनत्तम स्वीकृत दरों पर ही आपसी सहमति (Mutual Understanding) से इच्छुक सफल निविदा–दाताओं के साथ किया जाएगा। गणना फार्म की लेजर प्रिन्टिग के जनपदवार कार्यविभाजन का कार्य संबंधित फर्म के पास उपलब्ध संशाधनों/लेजर प्रिन्टरों एवं कुशल श्रमिकों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार ही दक्षता के आधार पर किया जाएगा। ऐसी प्रत्येक फर्म आवंटित कार्य के सापेक्ष उसके अनुमानित मूल्य के अनुरूप नियमानुसार कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित धनराशि विहित रीति से प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

12.16–किसी मतदेय स्थल, या उसके किसी भाग की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिंग कार्य में किसी प्रकार की कमी, अस्पष्टता अथवा गलती आदि परिलक्षित होने पर संबंधित फर्म आदि का उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे किसी मतदेय स्थल, या उसके किसी भाग की निर्वाचक नामावली की पुनः लेजर प्रिन्टिंग कर उसको यथानुसार स्टेपलर कर तत्काल संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएगा, जिस हेतु उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

12.17–नियमानुसार अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त निविदा–दाताओं की वित्तीय ई–निविदा खोले जाने के पश्चात जिस सफल निविदा–दाता को न्यूनत्तम निविदा के आधार पर एल0–1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ऐसी किसी भी फर्म आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनत्तम दर के अनुरूप अनुमानित संविदा मूल्य के आधार पर आगणित धनराशि का ***10 प्रतिशत की धनराशि*** कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार सावधि जमा रसीद/बैंक गारण्टी या राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल में) जिसे **मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार किया गया हो, तथा उसकी वैधता कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए प्रस्तुत करनी होगी।

12.18—लेजर प्रिन्टिग संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त तद् विषयक PDF DVD/Pen Drive/External Disk से ही सुनिश्चित की जायेगी। लेजर प्रिन्टिग का कार्य पूर्ण होने पर संबंधित फर्म को इस आशय का एक शपथ—पत्र भी संबंधित देयकों के साथ प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उक्त PDF की न तो कोई कॉपी की गई है और न ही विभाग की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को इसकी कॉपी उपलब्ध कराई गई है। देयकों के साथ मूल PDF DVD /Pen Drive/External Disk विभाग को वापस करने का उत्तरदायित्व भी संबंधित फर्म का होगा। इस संबंध में सफल निविदाकर्ता की फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा Non Disclosure Agreement (ANNEXURE-12 पर) अनुबन्ध के समय किया जायेगा।

12.19—फर्म को लेजर प्रिन्टिंग के लिए दिए गए डाटा के दुरूपयोग, इसकी गोपनीयता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। डाटा की सुरक्षा के किसी भी प्रकार के उल्लंघन या इसके दुरूपयोग का कोई मामला संज्ञान में आने पर, कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त करते हुए फर्म के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12.20—नियमानुसार एल0—01 फर्म को कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्धारित मात्रा में निर्वाचक नामावली के सेट उपलब्ध न कराने पर संबंधित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए Liquidated Damage के रूप में 1.5 प्रतिशत प्रतिदिन तथा कार्यादेश के अनुरूप संविदा की कुल आगणित धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत की धनराशि के भुगतान का विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा, जो कार्यपूर्ति प्रतिभूति की जब्त की गई धनराशि के अतिरिक्त होगी।

12.21—समय पर सन्तोषजनक ढंग से लेजर प्रिन्टिग के पश्चात प्रिन्टिग प्रेस से गन्तव्य तक ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग—अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त के संबंध में श्रम/अन्य विहित कानूनों के अनुपालन के लिए फर्म व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगी

12.22—ई—निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं यथा स्थान स्पष्ट पठनीय लेख में हों एवं तकनीकी निविदा में GeM Portal पर अपलोड किए गए वांछित सभी अभिलेख क्रमबद्ध रूप से चैकलिस्ट के अनुसार ही संलग्न किए गए हों। तकनीकी ई—निविदा में अपलोड प्रत्येक अभिलेख पर चैकलिस्ट के अनुसार उसकी क्रम संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। केवल वही अभिलेख तकनीकी ई—निविदा में अपलोड किए जांय जो इस निविदा के माध्यम से वांछित हों अनावश्यक और अवांछित कोई भी अभिलेख तकनीकी ई—निविदा में अपलोड न किए जांय। अपलोड किए जा रहे अभिलेख की विषय वस्तु केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही होनी चाहिए।

12.23—निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा ई—निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त/रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा।

12.24—इस निविदा के अनुबन्ध के अन्तर्गत निष्पादित की वैद्यता नियमानुसार अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक वर्ष की होगी, जिसे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के आधार पर आपसी सहमति से 1+1 वर्ष के लिए अर्थात कुल तीन वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। निविदा की अवधि को कम करने और किसी भी समय बिना किसी कारण के समाप्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

(डा. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ANNEXURE-1

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग हेतु तकनीकी ई–निविदा प्रपत्र

1– फर्म का नामः–

2– फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल आईडी सहित):–

3– फर्म का स्वरूपः–

4– GST पंजीकरण संख्याः–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5– फर्म आदि का स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर):–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6– फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिग कार्य/विभिन्न शासकीय विभाग/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की लेजर प्रिन्टिंग/प्रिन्टिंग से संबंधित समान प्रकृति के कार्य करने के अनुभव का विवरणः–
(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

7– विगत वर्षो का टर्नओवर

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25
1.	फर्म का कुल टर्नओवर (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)					

8– किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड/फर्म के विरूद्ध कोई शासकीय कार्यवाही आदि से संबंधित अपेक्षित शपथ–पत्र संलग्न करें:–

9– किसी भी शासकीय देयता की बकाया न होने तथा वर्ष–2024–25 तक जमा आयकर रिटर्न का विवरण (प्रमाणित अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)

10– धरोहर की जमा राशि EMD का विवरणः–
(अपेक्षित रीति से संलग्न करें)

11– उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय एवं कार्यशाला का विवरणः–
(ANNEXURE-2 में विवरण संलग्न करें)

12– विगत पांच वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में कम से कम ₹20.00 लाख तक का एकमुश्त एक कार्यादेश, ₹ 10.00–10.00 लाख के दो अथवा ₹ 7.00–7.00 लाख के तीन कार्यादेशों की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।

13– अन्य यदि कोई हो (उल्लेख करें)

संलग्नकों की संख्याः–

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा ई–निविदा के लिए निर्धारित सभी नियम/शर्तों को भली–भॉति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर......................
पूरा नाम..
पूरा पता..
फोन/फैक्स नं0..मोबा0नं0...........................
ई–मेल आई.डी. –

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

नोट : इच्छुक निविदा–दाता द्वारा अपनी फर्म के लेटर हेड सहमति पत्र के रूप में तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।

ANNEXURE-2

फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिग हेतु तकनीकी ई–निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला फर्म के कार्यालय एवं कार्यशाला से संबंधित विवरण ।

1– फर्म का पूरा नामः–

2– फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित कार्यालय एवं कार्यशाला का पूरा पताः–

....

....

3– फर्म का उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थित स्थापित कार्यालय एवं कार्यशाला का पूरा पताः–

....

....

4– निविदा–दाता के उक्त क्रमांक 2 अथवा 3 में अंकित पते पर स्थित कार्यशाला में स्थापित लेजर प्रिन्टिरों / वर्करों आदि का विवरणः–

क्र. सं.	वर्तमान में स्थापित / उपलब्ध लेजर प्रिन्टर / प्रिन्टरों की कुल संख्या	लेजर प्रिन्टर किस कम्पनी का है (प्रिन्टर का पूरा नाम, सीरीज और Manufacturing Year भी दें)	लेजर प्रिन्टर / प्रिन्टरों की DPI क्षमता	प्रति लेजर प्रिन्टर की प्रति मिनट A4 साईज के पेजों की लेजर प्रिन्टिग क्षमता (PPM)	एक दिन में (एक दिन में 8 घण्टे) लेजर प्रिन्टिग करने की कुल क्षमता (पेज संख्या में)	लेजर प्रिन्टर की NON Stop कार्य करने की क्षमता (घण्टों में)	विद्युत आपूर्ति वाधित होने पर लेजर प्रिन्टरों के संचालन हेतु निर्वाध रूप से विद्युत की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है	फर्म की कार्यशाला में उपलब्ध कुल कम्प्यूटरों की संख्या	कार्यशाला में कार्य करने वाले अनुभवी वर्करों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिग से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए उपरोक्त निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना वास्तविक रूप से भौतिक स्थिति के आधार पर ही प्रस्तुत की जा रही है। विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने पर इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा भिन्नता पाए जाने पर फर्म / कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर........................
पूरा नाम..
पूरा पता..
....
पैन नं0..
फोन / फैक्स नं0..
मोबा0नं0..
ई–मेल आई डी0–

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

ANNEXURE-3

<u>वित्तीय ई–निविदा का प्रारूप (BOQ)</u>
<u>(केवल ऑन लाईन **GeM Portal** पर भरा जायेगा)</u>

Tender Inviting Authority: **Chief Electoral Officer, Uttarakhand.**

Name of Work : **Laser Printing of Electoral Roll (E Roll)**

Contract No. **/XXV- 30 /2025 Dated September, 2025**

Name & Address of the Bidder/Bidding Firm/Company etc:

-: PRICE SCHEDULE:-

Sl. No.	Item / Works	Total no. Pages (Approx Estimated) (For supply and Laser Printing)	* Rate for Per Page (Excluding GST) in figure to be entered by the Bidder Rs. P.	Total Ammount.
1	2	3	4	5
1.	Rate of Laser Printing on A-4 size Photo stat Ppaer 75 GSM high grade quality (**One A4 Size Sheet on Single Side Print per sheet)** inclusive of the cost of paper, ink/toner, set making polling station & AC wise, Stitching/ stapling & FOR etc.	**8114500**		
2.	Rate of Laser Printing on A-4 size Photo stat Ppaer 75 GSM high grade quality **For Electoral Roll and VIS (One A4 Size Sheet on Both Side Print per sheet)** inclusive of the cost of paper, ink/toner, set making polling station & AC wise, Stitching /stapling & FOR etc.	**4057250**		

*GST as per applicable and time to time approved by Government.

ANNEXURE-4

ABSTRACT OF TURNOVER

TO WHOM IT MAY CONCERN

According to the books of account and other record produced and as per information and explanations given by ....(Name and complete address of Firm/Company etc.) we hereby certify that the total business revenue and Net Worth of the Firm/Company etc. for any three years in last five years are as follows:-

Financial Year	Total turnover (In Rs.)	Net worth (Positive/Negative)	Net Worth (In Rs.)
2020-21			
2021-22			
2022-23			
2023-24			
2024-25			

I/We also certify that the Bidder is in similar business for more than three years as on due date of submission of bid. Audited balance sheet of above financial year is enclosed herewith.

Dated :-

Enclosed :- As above

Signature of CA....

Name..................

UDIN ....

Stamp...................

Note:- Any three financial years

ANNEXURE-5

सन्तोषजनक कार्य के फलस्वरूप संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि ....

....

(फर्म/कम्पनी आदि का पूरा नाम और पता) के द्वारा कार्यादेश संख्या.. दिनांक ....के अनुपालन में निर्वाचक नामावली/वोटर स्लिप की लेजर प्रिन्टिग, या संबंधित शासकीय विभाग/कार्यालय/पी.एस.यू. की लेजर प्रिन्टिग से संबंधित समान प्रकृति का कार्य (कार्य का स्पष्ट उल्लेख करें) सन्तोषजनक ढंग से निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया गया। उक्त कार्य को नियत अवधि के अन्तर्गत सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर फर्म/कम्पनी द्वारा उक्त के सापेक्ष प्रस्तुत बिल संख्या..........................दिनांक .... ₹..............................(अंको में) ₹..(शब्दों में) का कार्यालय अभिलेखों के अनुसार दिनांक.................................. को भुगतान किया गया।

दिनांक :–

संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर।
पदनाम :–
मुहरः–

ANNEXURE-6

निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप/मतदाता सूचना पर्ची की लेजर प्रिन्टिग या केन्द्र/राज्य सरकार/पी.एस.यू. के किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिग से संबंधित समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि ....

....

(फर्म/कम्पनी आदि का पूरा नाम और पता) के द्वारा दिनांक...से दिनांक................................तक इस प्रकार विगत................वर्ष/वर्षों से इस विभाग/कार्यालय के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप की लेजर प्रिन्टिग, या संबंधित शासकीय विभाग/कार्यालय की लेजर प्रिन्टिग से संबंधित समान प्रकृति का कार्य (कार्य का स्पष्ट उल्लेख करें) सन्तोषजनक ढंग से सम्पादित किया गया/सम्पादित किया जा रहा है (जैसी भी स्थिति हो अनुपयुक्त को काट दें)

दिनांक :–

संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर।
पदनाम :–
मुहर:–

नोटः– अनुभव विगत पांच वर्षों यथा– 2020–21 से 2024–25 में से किन्हीं भी तीन वर्षों का होना अनिवार्य है।

ANNEXURE-A

चैकलिस्ट

तकनीकी निविदा के सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री–अभिलेखों का विवरण जिसे निर्धारित तिथि एवं समय तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून में व्यक्तिगत रूप से/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक अथवा कोरियर द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्र.सं.	विवरण	पेज नम्बर
1.	ई–निविदा हेतु निर्धारित EMD ₹5,50,000.00 (₹ तीन लाख) की धनराशि किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार सावधि जमा रसीद, या बैंक गारण्टी, या राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल में)	
2.	निविदा–दाता को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार/पी.एस.यू. से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए इसके संबंध में निविदा–दाता को ₹100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित निम्न तीन बिन्दुओं पर निर्धारित शपथ–पत्र मूल रूप में।	
3.	निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्ट का सैम्पल (कम से कम 75 GSM के कागज पर) सैम्पल PDF ANNEXURE-8 पर लेजर प्रिन्ट मूल में)	
4.	बीएलओ रजिस्टर की लेजर प्रिन्ट का सैम्पल (कम से कम 75 GSM के कागज पर) सैम्पल PDF ANNEXURE-9 पर लेजर प्रिन्ट मूल में)	
5.	मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip VIS) की लेजर प्रिन्ट का सैम्पल (कम से कम 75 GSM के कागज पर) सैम्पल PDF ANNEXURE-10 पर लेजर प्रिन्ट मूल में)	
6.	वर्णानुक्रम नामावली फोटो रहित (Alphabetical Roll with out Immage), की लेजर प्रिन्ट का सैम्पल (कम से कम 75 GSM के कागज पर) सैम्पल PDF ANNEXURE-11 पर लेजर प्रिन्ट मूल में)	
7.	MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि कोई हो)।	

प्रमाणित किया जाता है कि, उक्त समस्त अभिलेख/सामग्री निविदा में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कमी, त्रुटि तथा अपूर्णता आदि के लिए निविदा–दाता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.......

फर्म की मुहर..........................

नोटः– उक्त **क्रमांक 1 से 8 पर** अंकित अभिलेखों पर निविदा–दाता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं फर्म आदि की मुहर लगी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में स्केन कर चस्पा किए गए हस्ताक्षर एवं मुहर स्वीकार्य नहीं होंगे।

ANNEXURE-B

चैकलिस्ट

तकनीकी निविदा के रूप में ऑन लाईन GeM Portal पर अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों (क्रमवद्ध रूप से केवल PDF) का विवरण जिसे निर्धारित तिथि एवं समय तक ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

क्र.सं.	विवरण	पेज नम्बर
1.	7.1– निविदा–दाता के GST रजिस्ट्रेशन संबंधी अभिलेख।	
2.	7.2– निविदा–दाता के पैन कार्ड की प्रति।	
3.	7.3– MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र की प्रति, यदि कोई हो।	
4.	7.4– विगत पांच वर्षों (2020–21 से 2024–25) में से कम से कम किन्हीं भी तीन वर्षों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप/मतदाता सूचना पर्ची की लेजर प्रिन्टिग, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिग से संबंधित समान प्रकृति के कार्य हेतु विभाग/कार्यालय/पी.एस.यू. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ANNEXURE-6 पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति	
5.	7.5– विगत पॉच वित्तीय वर्षो यथा ***वित्तीय वर्ष–2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 में से किन्हीं तीन वित्तीय वर्ष*** के टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट का **सार** ANNEXURE-4	
6.	7.6– विगत पांच वर्षों (2020–21 से 2024–25) में से **किसी भी एक वित्तीय वर्ष में** फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली/फोटो वोटर स्लिप की लेजर प्रिन्टिग, या केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी. एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में लेजर प्रिन्टिग से संबंधित समान प्रकृति के कार्य के संदर्भ में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण–पत्र	
7.	7.7– कार्यादेश के सापेक्ष सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान के स्पष्ट प्रमाण–पत्र की प्रति ANNEXURE-5 पर	
8.	7.8– वित्तीय वर्ष–2024–2025 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित अभिलेख।	
9.	7.9– निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख (Corrigendum सहित यदि कोई हो) की प्रति।	
10.	7.10– निविदा–दाता फर्म के पास वर्तमान में उपलब्ध **1200DPI** के लेजर प्रिन्टरों, कम्प्यूटर आदि का विवरण ANNEXURE-2 पर पूर्ण विवरण सहित।	

11.	**7.11**– ANNEXURE-1 निविदा–दाता फर्म की घोषणा सहित पूर्ण विवरण सहमति पत्र के रूप में निविदा–दाता फर्म के लेटर हेड पर।	
12.	**7.12**– निविदा–दाता को **₹ 100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित ब्लेक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित तीन बिन्दुओं पर शपथ–पत्र की प्रति।	
13.	**7.13**– अन्य अभिलेख यदि कोई हों (अधिकत्तम 4 पेज में)।	

प्रमाणित किया जाता है कि, तालिका के क्रमांक 01 से 13 तक वांछित समस्त अभिलेख निविदा में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार क्रमबद्ध रूप से अपलोड किए गए हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कमी, त्रुटि तथा अपूर्णता आदि के लिए निविदा–दाता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.......

फर्म की मुहर...........................

नोट–

1. उक्त वांछित सभी अभिलेख केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही स्वीकार्य होंगें ।
2. वार्षिक टर्नओवर के संबंध में विगत पांच वर्षों में किन्ही भी तीन वर्षों का प्रस्तुत करना होगा।
3. अन्य कोई भी अभिलेख जो वांछित/अपेक्षित न हो अनावश्यक रूप से अपलोड न करें।
4. उक्त क्रमांक 1 से 13 पर अंकित समस्त अभिलेखों पर निविदा–दाता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं फर्म आदि की मुहर लगी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में स्केन कर चस्पा किए गए हस्ताक्षर एवं मुहर स्वीकार्य नहीं होंगे।
5. उक्त वांछित सभी अभिलेख चैकलिस्ट के अनुसार ही PDF में क्रमबद्ध रूप से अपलोड होने चाहिए तथा प्रत्येक पर पेज नम्बर भी उसी क्रम में लिखा होना चाहिए।

ANNEXURE-12

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

AND THIS MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT is made Between

AGREEMENT BY AND BETWEEN

(1) (to be filled) a registered company validly organized and existing under the laws of India and having its registered office at (Here in after "(to be filled)").

And

(2) Chief Electoral Officer Uttarakhand, First Floor, Vishwakarma Building, Uttarakhand Secretariat, Dehradun.

1. Purpose:

WHEREAS

a. The Office of Chief Electoral Officer, Uttarakhand wishes to appoint the Firm/ Company ------ -- for a period (i.e. from _______, 2021 till ______, 2025 . the purpose there will be a requirement to exchange certain information related ---------- ------- which is proprietary and confidential information.

b. The Office of Chief Electoral Officer , Uttarakhand is willing to disclose such information to Agency only on the terms and conditions contained in this Agreement. The ------Firm or agency agrees to hold the Covered Data and Information in strict confidence. The --------------------(Name of Firm) shall not use or disclose Covered Data and Information received from or on behalf of Government of Office of Chief Electoral Officer except as permitted or required by the Agreement, or as otherwise authorized in writing by Office of Chief Electoral Officer , Uttarakhand .... (to be filled) and

2. "Confidential Information:" means any information disclosed to the Receiving Party by the Disclosing Party, directly or indirectly, whether in writing (written, generated/stored on magnetic digital, photographic or other media), orally or by inspection, including without limitation, the Disclosing Party's computer software, technology, documents, prototypes, samples, manuals, drawings, diagrams, reports, research and development, techniques, methodologies, applications for particular systems or programs, vendor names, customer lists, names of suppliers or business prospects, information systems, sales and marketing plans, financial information and results, business plans, strategic or financing transactions, projections (financial or otherwise), and channels of distribution, and which is designated by the Disclosing Party as "Confidential," "Proprietary" or with some other similar designation.

Confidential Information shall not, however, include any information which the Receiving Party can establish.

(i) was publicly known and generally available in the public domain prior to the time of disclosure to the Receiving Party as evidenced by prior written records or other tangible documents in the Receiving Party's possession;

(ii) becomes publicly known and generally available after disclosure to the Receiving Party through no wrongful act of the Receiving Party or any other party;

(iii) was already in the possession of the Receiving Party, without confidentiality restrictions, at the time of disclosure by the Disclosing Party as evidenced by prior written records or other tangible documents in the Receiving Party's possession; or

(iv) the disclosure of which is required by mandatory law.

3. Non-Use and Non-Disclosure:

The Receiving Party agrees not to use any of the Disclosing Party's Confidential Information for any purpose except to evaluate and engage in discussions concerning a potential business relationship between Office of Chief Electoral Officer Uttarakhand and .... (to be filled). The Receiving Party agrees not to disclose any of the Disclosing Party's confidential information to third parties or to employees of the Receiving Party, except to those employees who are required to have the information in order to evaluate or engage in discussions concerning the contemplated business relationship between .... (to be filled) and Office of Chief Electoral Officer Uttarakhand. The Receiving Party shall not reverse engineer any prototypes or other tangible objects which embody the Disclosing Party's Confidential Information.

4. Maintenance of Confidentiality:

The Receiving Party agrees that it shall take all reasonable measures to protect the secrecy of and avoid unauthorized disclosure and use of the Disclosing Party's Confidential Information. Without limiting the generality of the foregoing, the Receiving Party shall take at least those measures that it takes to protect its own most highly confidential information and shall have its employees who have access to the Disclosing Party's Confidential Information sign a non-useto any disclosure of such Confidential Information to such employees. The Receiving Party shall not make any copies of the Disclosing Party's Confidential Information unless the same are previously approved in writing by the Disclosing Party. The Receiving Party shall reproduce the Disclosing Party's proprietary rights notices on any such approved copies, in the same manner in which such notices were set forth in or on the original. The Receiving Party shall immediately notify the Disclosing Party in the event of any unauthorized use or disclosure of the Disclosing Party's Confidential Information.

5. No Obligation:

Anything herein shall obligate or Office of Chief Electoral Officer Uttarakhand to precede with any transaction between them, and each party reserve the right, in its sole discretion, to terminate the discussions contemplated by this Agreement concerning the business opportunity. Upon the

request of the Disclosing Party, the Receiving Party will promptly return all documents in its possession that contain the Disclosing Party's Confidential Information

6. No Warranty:

All confidential information is provided "AS IS". Neither party makes any warranties, express, implied or otherwise, regarding its accuracy, completeness or performance.

7. Ownership:

All Confidential Information disclosed by the Disclosing Party is and shall remain the sole property of the Disclosing Party. Nothing in this Agreement is intended to grant any rights to the Receiving Party under any patent, trademark, mask work right or copyright of the Disclosing Party included in the Disclosing Party's Confidential Information, nor shall this Agreement grant the Receiving Party any rights in or to the Disclosing Party's Confidential Information.

8. Survival:

This Agreement shall survive with respect to each piece of Confidential Information disclosed by the Disclosing Party hereunder until such time as such Confidential Information loses its confidentiality pursuant to Section 2(i), 2(ii), 2(iii) or 2(iv) hereof.

9. Remedies

Each party agrees that any violation or threatened violation of this Agreement will cause irreparable injury to the Disclosing Party, entitling the Disclosing Party to obtain injunctive relief in addition to all other legal remedies.

10. Miscellaneous:

This Agreement shall bind and inure to the benefit of the parties hereto and their successors and assigns. This Agreement shall be governed by the laws of the state of Uttarakhand India, without reference to conflict of laws principles of any jurisdiction. This Agreement contains the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. Any failure to enforce any provision of this Agreement shall not constitute a waiver thereof or of any other provision hereof. This Agreement may not be amended, except by a writing signed by both parties hereto.

This Agreement may be executed in counterparts, all of which together, when executed and delivered, shall constitute one and the same instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Contract to be signed in their respective names as of the day and year first above written.

After

or and on behalf of ***Chief Election Officer*** ***Office of Chief Election Officer*** ***Uttarakhand, Dehradun***	For and on behalf of
Witness	Witness